दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 1049/OA-569/Neeshu Shukla/MZR/2019 दिनाँक Dated 10-10-19.

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.- Compliance to the direction issued on 05.08.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 569/2019 Neeshu Shukla Vs. State of Uttar Pradesh & another.

Sir,

In continuation with the letter no. 925/OA-569/Neeshu Shukla/2019 dated 09.09.2019, it is to inform you that following additional actions have further been taken in the matter :-

1- UPPCB has imposed environmental compensation of Rs. 3,00,000/- on M/s. Indian Potash Limited, Sugar Unit Rohana Kalan, Muzaffarnagar vide letter no. H42433/C-3/Jal-250/M.Nagar/2019 dated 09.10.2019 (Copy enclosed).

2- Recommendation for initiating action under section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 against M/s. Indian Potash Limited, Sugar Unit Rohana Kalan, Muzaffarnagar has been sent to the head office for not making any provision of STP neither formulation any action plan in compliance of earlier directions issued to the industry vide letter dated 01.09.2019 by this office. The copy of letters enclosed herewith.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Vivek Roy)
Regional Officer

Copy to :

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
2. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

C-3
10.10.19

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या HBR433 /सी–3/जल–250/मु0नगर/2019 दिनांक 9/10/19

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 इंडियन पोटाश लि0,
शुगर यूनिट, रोहना कलां,
जनपद–मुजफ्फरनगर।

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 569/2019 नीशू शुक्ला बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 05.08.2019 के अनुक्रम में उद्योग का निरीक्षण दिनॉक 31.08.2019 को किया गया। प्राप्त आख्या के अनुसार निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग परिसर में स्थित आवासीय कालोनी से जनित घरेलू जल–मल का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। अन्य घरेलू प्रयोजनों से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग के सामने की ओर बाउण्ड्री वाल के बाहर रोडसाइड ड्रेन में किया जाता है, जो उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत जल सहमति दिनॉक 05.03.2019 में इंगित शर्तों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 569/2019 नीशू शुक्ला बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 05.08.2019 के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सी0पी0सी0बी0 द्वारा की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार निरीक्षण दिनॉक 31.08.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 09.09.2019 तक कुल 10 दिनों का उल्लंघन मानते हुए उद्योग मै0 इंडियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट, रोहना कलां, जनपद–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध रू0–30,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 3,00,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

9.10.19
(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9.10.19
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
ई–मेल–info@uppcb.com e-mail: info@uppcb.com
वेब साइट www.uppcb.com Web site www.uppcb.com

दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 1046/OA-569/NeeshuShukla/2019. दिनाँक Dated 9-10-19.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः मै0 मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जिला मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उद्योग के विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण दिनांक 31.08.2019 को कराया गया था। निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु निर्देश पत्र दिनांक 01.09.2019 प्रेषित किया गया, परन्तु उद्योग द्वारा वर्तमान तक एस0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत जल सहमति की शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है। नवीनतम आख्या दिनांक 09.10.2019 पत्र के साथ संलग्न है। आख्या में दिये गये तथ्यों के आधार पर उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।</u>

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

"Allegation in this letter, which has been treated as an application, is against pollution caused by I.P.L. Sugar Mill Rohana, Vill. Behadi, Tehsil Sadar, District Muzaffarnagar, U.P. by discharging untreated sewage which is a source of disesases for the inhabitants and the animals in the area in violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Let the U.P. State Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in. ....."

उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जिला मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 31.08.2019 को किया गया था। निरीक्षण में निम्न तथ्य पाये गये थे :–

1– उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जिला मुजफ्फरनगर में गन्ने का प्रयोग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की क्रशिंग क्षमता 1600 टी.सी. डी. है।

2– उद्योग वर्तमान में ऑफ सीजन होने के कारण उत्पादनरत् नहीं है।

3– उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरिफायर (ट्यूब सैटलर), एनारोबिक टैंक (With Plastic Media), ऐरेशन टैंक, सैकेण्ड्री क्लेरिफायर, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज ड्राइंग बैड्स आदि हैं। उद्योग में शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई में प्रयुक्त किये जाने हेतु 5500 घन मी0 क्षमता का लैगून स्थापित है। उद्योग में ई0टी0पी0 के फाइनल आउटलेट पर ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इफ्ल्यूएंट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है।

क्रमशः ....2...

4– उद्योग परिसर में स्थित आवासीय कालोनी में लगभग 60 परिवार निवास कर रहे हैं। घरेलू जल–मल का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। अन्य घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग के सामने की ओर बाउण्ड्री वाल के बाहर रोड साइड ड्रेन में किया जाता है, जो कि उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत जल सहमति की शर्तो का उल्लंघन है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु उद्योग को निर्देश पत्र दिनांक 01.09.2019 प्रेषित किया गया था, परन्तु उद्योग द्वारा वर्तमान तक एस0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता

(डा0 डी0सी0 पाण्डेय)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 877/OA-569/Nishushukla/MZR/2019 दिनाँक Dated 1-9-19.

सेवा में,

मै० इण्डियन पोटाश लि०
शुगर यूनिट रोहाना कलां
जनपद–मुजफ्फरनगर।

विषयः–मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या–569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या–569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 05.08.2019 (प्रति संलग्न) में निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :–

"Allegation in this letter, which has been treated as an application, is against pollution caused by I.P.L. Sugar Mill Rohana, Vill. Behadi, Tehsil Sadar, District Muzaffarnagar, U.P. by discharging untreated sewage which is a source of disesases for the inhabitants and the animals in the area in violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Let the U.P. State Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in. ....."

तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 31.08.2019 को कराया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि उद्योग परिसर में स्थित आवासीय कालोनी से जनित घरेलू जल–मल का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। अन्य घरेलू प्रयोजनों से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग के सामने की ओर बाउण्ड्री वाल के बाहर रोडसाइड ड्रेन में किया जाता है।

उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक 41459/UPPCB/MuzaffarNagar (UPPCBRO)/CTO/Water/MUZAFFARNAGAR/2018 दिनांक 05.03.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निर्गत जल सहमति का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें घरेलू उत्प्रवाह एस०टी०पी० के माध्यम से मानकों के अनुरूप निस्तारित किये जाने

क्रमशः ...2....

हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे सम्पूर्ण घरेलू उत्प्रवाह शोधित रूप में ही मानकों के अनुरूप निस्तारित हो सके। वर्तमान में सोक पिट/सैप्टिक टैंक की व्यवस्था घरेलू जल–मल के निस्तारण हेतु है तथा शेष घरेलू प्रयोजनों से निस्तारित उत्प्रवाह रोडसाइड ड्रेन में जा रहा है। सम्पूर्ण घरेलू उत्प्रवाह के शोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत् एस0टी0पी0 का प्राविधान होना अनिवार्य पाया गया है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि एस0टी0पी0 का प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु Detailed Action Plan तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार के घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शुद्धिकृत किये रोडसाइड ड्रेन में न करें। उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी